राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प.1(4)वन/96 पार्ट जयपुर, दिनांक: 2.9.06

परिपत्र

राजकीय/सामुदायिक गैर वन भूमि में वन विभाग द्वारा राजकीय व्यय से कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य करने हेतु भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ11–37/2003 –एफसी दिनांक 30.8.05 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/95 में दिनांक 12.12.96 को दिये गये निर्णय की अनुपालना में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे क्षेत्र जो कि अधिसूचित वन क्षेत्र, राजकीय रिकार्ड में दर्ज वन क्षेत्र एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में गठित समिति की अनुशंषा पर सम्मिलित वन क्षेत्रों को छोड़कर, राजकीय/सामुदायिक गैर वन भूमि पर वन विभाग द्वारा राजकीय व्यय से कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों का उपयोग गैर वानिकी गतिविधियों हेतु करने की अनुमति एतद्द्वारा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. ऐसी भूमियों के वनेतर उपयोग हेतु आवेदनकर्ताओं/उपभोक्ता एजेंसी से, आवंटित की जाने वाली भूमि के दोगुने गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की वर्तमान दरों से राशि का भुगतान लिया जायेगा। यह दरें वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वर्तमान दरों के अनुरूप होंगी। उक्त राशि से परिभ्रांषित वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जावेगा।
2. आवेदनकर्ता/उपभोक्ता एजेंसी द्वारा ऐसी भूमियों पर खड़ी वन सम्पदा के मूल्य का भुगतान बाजार दर पर वन विभाग को किया जायेगा तथा वन सम्पदा का विदोहन अपने खर्च पर कर नजदीक के वन विभाग की चौकी/नाका/रेंज कार्यालय तक ऐसी सम्पदा का परिवहन कर वन विभाग को सम्भलाया जायेगा।
3. आवेदित राजकीय/सामुदायिक गैर वन भूमि जिस विभाग/संस्था की है, उसकी पूर्वानुमति आवेदनकर्ता/उपभोक्ता संस्था द्वारा प्राप्त की जावेगी।
4. आवेदनकर्ता/उपभोक्ता एजेंसी द्वारा आवंटित क्षेत्र को अलग करते हुए नियमानुसार सेफ्टीजोन(हरित पट्टी) विकसित की जायेगी जिससे आसपास की वन सम्पदा को कोई नुकसान नहीं होवे।
5. आवेदनकर्ता/उपभोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के सभी नियमों की पालना की जायेगी एवं इसके अतिरिक्त स्थानीय नियम, यदि कोई हों तो उनकी भी पालना की जायेगी।
6. उक्त अनापति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर उक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए गैर वानिकी कार्य की उपयोगिता एवं वृक्षारोपण के पारिस्थितिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उच्च कार्यालय को सूचित करते हुए जारी किये जा सकेंगे।

2-9

(सुर्दशन सेठी)

शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
6. मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रिय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) केन्द्रीय भवन, पॉचवा तल सैक्टर 'एच'अलीगंज, लखनऊ, उत्तरप्रदेश।
7. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
12. समस्त मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान।
13. समस्त वन संरक्षक, राजस्थान।
14. समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, वन